प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 138/2006

अपीलार्थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थीगण सरिता देवी और अन्य

एवं

विविध अपील क्रमांक 126/2006

अपीलार्थीगण सरिता देवी और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण दीपनारायण यादव और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनिर्णय

विचारण हेतु दिनांक 17.10.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
न्यायधीश
17.10.2011

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मै सहमत हूं।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

दिनांक 17.10.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 138/2006

अपीलार्थीगण

प्रतिवादी क्रमांक 3 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, राम मंदिर के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. **सरिता देवी**, पति स्वर्गीय सीताराम यादव , उम्र लगभग 34 वर्ष

2. **सोनिका** पिता सीताराम ,उम्र 18 वर्ष,

3. **मोनिका** पिता सीताराम, उम्र 15 वर्ष,

दोनों अप्राप्तवय द्वारा अपने नैसर्गिक संरक्षिका माता सरिता देवी पति स्वर्गीय सीताराम यादव सभी निवासी ग्राम भटगांव, पुलिस थाना प्रतापपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

4. **दीप नारायण यादव**, पिता रामनारायण यादव, व्यवसाय-ड्राइवर, निवासी ग्राम भटगांव, पुलिस थाना प्रतापपुर, तहसील सूरजपुर, जिला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

- **एसईसीएल,** क्षेत्र **भटगांव**, द्वारा महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय-भटगांव, पोस्ट भटगांव, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

.....

उपस्थिति: अपीलार्थी **की ओर से श्री ऐ.के. अथाले, अधिवक्ता ।**

.....

एवं

विविध अपील क्रमांक 126/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण

दावाकर्तागण

1. **सरिता देवी**, पति स्वर्गीय सीताराम यादव , उम्र लगभग 34 वर्ष

2. **सोनिका** पिता सीताराम ,उम्र 18 वर्ष,

3. **मोनिका** पिता सीताराम, उम्र 15 वर्ष,

क्रमांक 2 एवं 3 दोनों अप्राप्तवय द्वारा अपने नैसर्गिक संरक्षिका माता सरिता देवी पति स्वर्गीय सीताराम यादव सभी निवासी ग्राम भटगांव, पुलिस थाना

प्रतापपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

बनाम

<u>प्रत्यर्थीगण</u>

1. **दीप नारायण यादव**, पिता रामनारायण यादव, निवासी ग्राम एवं पोस्ट भटगांव, पुलिस थाना प्रतापपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

2. **एसईसीएल,** क्षेत्र **भटगांव**, द्वारा महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय-भटगांव, पोस्ट भटगांव, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

3. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, राम मंदिर के पास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत अपील।</u>

युगलपीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायाधीश श्री एन. के. अग्रवाल।

.....

<u>उपस्थिति:</u>

अपीलार्थीगण की ओर से श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से श्री ऐ.के. अथाले, अधिवक्ता ।

.....

<u>अधिनिर्णय</u>

(दिनांक 17.10.2011 को पारित)

माननीय न्यायाधीश श्री एन. के. अग्रवाल के अनुसार,

1. दोनों अपीलें, अर्थात् विविध अपील क्रमांक 138/2006, जो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के बीमाकर्ता ओरीएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई है, तथा विविध अपील क्रमांक 126/2005, जो प्रतिकर की राशि में वृद्धि हेतु दावाकर्ता द्वारा दिनांक 29.09.2004 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध दायर की गई है—जिसे चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (फास्ट ट्रैक कोर्ट), सूरजपुर ने दावा प्रकरण क्रमांक 06/04 में पारित किया था। दोनों अपीलों में समान तथ्य एवं प्रश्न सम्मिलित होने तथा दोनों का उद्भव एक ही दुर्घटना से होने के कारण, इनका निराकरण इस एक समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इन अपीलों में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार बीमा कंपनी की देयता 50,000 रुपये तक सीमित है या नहीं, तथा प्रदान किया गया प्रतिकर पर्याप्त है या नहीं।

3. सीताराम यादव, जो राजदूत मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए यात्री (पिलियन राइडर) थे, दिनांक 01.10.1988 को सीपीएल-9100 पंजीयन क्रमांक वाली कैश वैन—जो प्रत्यर्थी/एस.ई.सी.एल के स्वामित्व में थी और प्रत्यर्थी दीपनारायण द्वारा चलाई जा रही थी, से हुई दुर्घटना में आहत हो गए और बाद में उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

4. मृतक सीताराम के विधिक प्रतिनिधियों ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1988') की धारा 166 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर 22,00,000 रुपये का प्रतिकर दावा किया था। उक्त मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में अधिकरण ने कुल

2,40,000 रुपये का प्रतिकर, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, आवेदन की तिथि 20.12.2002 से वास्तविक भुगतान तक प्रदान किया।

5. अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि: दुर्घटना पंजीयन क्रमांक सीपीएल-9100 वाली कैश वैन के चालक, प्रत्यर्थी दीपनारायण, की उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चालन के कारण हुई; सीताराम यादव की मृत्यु उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई; मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति तथा प्रत्यर्थी एस.ई.सी.एल द्वारा प्रतिकर प्रदान किया गया; ओरीएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की देयता सीमित नहीं है; बीमा कंपनी यह स्थापित नहीं कर सकी कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वह प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है; अधिकरण ने कुल 2,40,000 रुपये का प्रतिकर, आवेदन की तिथि 20.12.2002 से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, प्रदान किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री ए.के. अथाले, अपीलार्थी/ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मोटर यान अधिनियम, 1939 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1939') की धारा 95(2)(ख)(i), जिसका संशोधन दिनांक 01.10.1982 से प्रभावी हुआ, के तहत अपीलार्थी/बीमा कंपनी की देयता केवल ₹50,000/- तक सीमित है तथा अधिकरण ने संपूर्ण प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराकर त्रुटि की है।

7. इसके विपरीत, दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री डी.एन. प्रजापति ने अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को समस्त प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराने के निष्कर्ष का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अधिकरण ने अत्यंत कम प्रतिकर राशि प्रदान की है, जिसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

8. हमने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा अधिकरण के अभिलेखों सहित आक्षेपित अधिनिर्णय का अवलोकन किया।

9. यह निर्विवाद है कि दुर्घटना दिनांक 01.10.1988 को अर्थात् अधिनियम, 1988 के लागू होने (01.07.1989) से पूर्व हुई। यह अब स्थापित विधि है कि अधिनियम, 1988 भूतलक्षी प्रकृति की नहीं है। पक्षकारों के अधिकार एवं देयताएँ उसी समय के विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं जब दावा प्रस्तुति हेतु कारण उत्पन्न होता है।

10. वर्तमान प्रकरण में दावा प्रस्तुत करने का वाद हेतुक दिनांक 01.10.1988 को उत्पन्न हुआ, अतः पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व अधिनियम, 1939, जिसे दिनांक 01.10.1982 को संशोधित किया गया था, के अनुसार निर्धारित होंगे, न कि अधिनियम, 1988 के अनुसार। अधिनियम, 1939 की धारा 95(2) इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> (2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, बीमा पॉलिसी किसी एक दुर्घटना के संबंध में उपगत किसी भी दायित्व को निम्नलिखित सीमाओं तक आवृत करेगी—
>
> (क) जहां वाहन माल वाहन है, वहां एक लाख पचास हजार रुपए की सीमा सभी में, जिसमें वाहन में ले जाए जा रहे कर्मचारियों (चालक के अलावा) की मृत्यु या उन्हें शारीरिक चोट लगने के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उत्पन्न होने वाली देयताएं, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं;]
>
> (ख) जहां यान ऐसा यान है जिसमें यात्रियों को किराये या पारिश्रमिक पर या नियोजन संविदा के कारण या उसके अनुसरण में ले जाया जाता है,-
>
> (i) किराए या पारिश्रमिक पर ले जाए जाने वाले यात्रियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में, कुल मिलाकर पचास हजार रुपये की सीमा

(ii) यात्रियों के संबंध में—

(ग) खंड (घ) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां वाहन किसी अन्य वर्ग का वाहन है, उपगत देयता की रकम;]

(घ) वाहन की श्रेणी पर ध्यान दिए बिना, किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में कुल मिलाकर छह हजार रुपये की सीमा

11. अधिनियम, 1939 की **धारा 95 (2) (ख)** के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम जुगल किशोर और अन्य** के प्रकरण में की गई थी, जो **1988 (1)** एससीसी **626** में प्रकाशित है। इस प्रकरण में, दावाकर्ता **जुगल किशोर**, जो एक तिपहिया स्कूटर का चालक था, एक बस के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1939 की धारा 95 (2) (ख) के तहत बीमा कंपनी की देनदारी **20,000/- रुपये** की संविधिक देनदारी से अधिक नहीं हो सकती थी, जो दुर्घटना की तिथि, अर्थात् दिनांक **15.07.1969**, को लागू थी। न्यायालय ने अपने फैसले के कंडिका **8** में यह अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8. इसलिए, पॉलिसी का अवलोकन दर्शाता है कि मोटर वाहन के उपयोग (जिसमें लदान और/या उतराई शामिल है) से होने वाली किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में ली गई देनदारी, जो अधिनियम की धारा 95 (2) (ख) के अंतर्गत आती है, उसे 'उस राशि तक सीमित' रखा गया है 'जो मोटर यान अधिनियम, 1939 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।' यह देनदारी, जैसा कि अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (2) के खंड (ख) से स्पष्ट है, उस संबंधित समय पर केवल 20,000/- रुपये थी। प्रीमियम के विवरण से यह भी संकेत मिलता है कि वाहन के स्वामी द्वारा बीमा कंपनी को धारा 2(1)(i) के तहत आने वाले प्रकरण के

संबंध में कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। केवल वाहन का ही व्यापक बीमा किया गया था, जिसका बीमित अनुमानित मूल्य एक्सेसरीज़ सहित 40,000/- रुपये दिखाया गया था। इस दृष्टिकोण से, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अपीलार्थी (बीमा कंपनी) ने इस प्रकरण में असीमित देनदारी ली थी, स्पष्ट रूप से कोई आधार नहीं रखती है। इस प्रकरण में पॉलिसी के तहत देनदारी वही थी जो अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा वैधानिक देनदारी में परिकल्पित अर्थात् 20,000/-रुपये थी । इसलिए, अपीलार्थी के विरुद्ध इस संविधिक देनदारी से अधिक का अधिनिर्णय नहीं दिया जा सकता था।"

12. सर्वोच्च न्यायालय ने जेम्सकुट्टी जैकब बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2003 (7) एससीसी 131 के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1939 की धारा 95(2)(ग) के अंतर्गत आने वाले प्रकरण में—भले ही बीमा पॉलिसी "एक्ट ओनली पॉलिसी" हो—बीमा कंपनी की देयता वही होगी जितनी वास्तविक देयता उत्पन्न हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अब प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह निर्विवाद है कि 'कैश वैन' अर्थात् दुर्घटनाग्रस्त वाहन, पॉलिसी प्रदर्श एन.ए. 3/1 के अनुसार एक निजी कार के रूप में बीमित था और यह एक "एक्ट ओनली पॉलिसी" है। पॉलिसी के अनुसूची से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक जोखिम की देयता को आच्छादित करने हेतु 277/- रुपये का प्रीमियम लिया गया है। यह भी निर्विवाद है कि यह वाहन न तो मालवाहक वाहन था और न ही किराये या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जाने वाला वाहन। दुर्घटना के समय यह कैश वैन बीमित व्यवसाय के कार्य हेतु उपयोग में लाई जा रही थी। अतः प्रश्नगत वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 95(2)(ग) में वर्णित "किसी अन्य वर्ग के वाहन" की श्रेणी में आएगा।

14. अधिनियम, 1939 की धारा 95(2)(ग) के अनुसार, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *जेम्सकुट्टी जैकब* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार, भले ही यह पॉलिसी एक "एक्ट ओनली पॉलिसी" हो, बीमा कंपनी की देयता वही होगी जितनी वास्तविक देयता उत्पन्न हुई है। अतः चूँकि प्रश्नगत वाहन कोई यात्री वाहन नहीं है और धारा 95(2)(ग) में वर्णित "अन्य किसी वाहन" की श्रेणी में आता है, इसलिए बीमा कंपनी की देयता को 50,000/- रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता।

15. उपर्युक्त के आलोक में, हमारे विचार से अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को संपूर्ण प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराने का निष्कर्ष किसी भी प्रकार की अवैधता से ग्रसित नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 95(2)(ग) में परिभाषित "अन्य किसी वाहन" की श्रेणी में आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर राशि पर्याप्त है या नहीं।

17. मृतक, प्रत्यर्थी/एसईसीएल के भाटगाँव उप क्षेत्र में फार्मासिस्ट T&S ग्रेड–C के रूप में कार्यरत था। प्र.पी./4 के अनुसार उसका मूल वेतन 1342/- रुपये था। इसके अतिरिक्त उसे 132.08/- रुपये वी.डी.ए., 186.31/- रुपये एफ.डी.ए., 24.08/- रुपये एस.डी.ए. प्राप्त होता था तथा जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के लिए 134.20/- रुपये उपस्थिति बोनस भी दिया गया था। वेतन पर्ची के अनुसार वर्ष 1987–88 के लिए उसे 1359.49/- रुपये वार्षिक बोनस भी प्राप्त हुआ था।

18. अधिकरण ने, मृतक के वेतन को 1717/- रुपये माना—जिसमें से 134.20/- रुपये उपस्थिति बोनस, जो नियमित रूप से नहीं दिया जाता था, घटाकर—मृतक की आय 1800/- रुपये प्रतिमाह आंकी। इसमें से 1/3 भाग मृतक के निजी खर्च हेतु घटाते हुए, दावाकर्ता की

मासिक निर्भरता 1200/- रुपये अर्थात् 14,400/-रुपये वार्षिक निर्धारित की। मृतक की आयु दुर्घटना के समय 35 वर्ष होने के कारण, 16 का गुणक लागू किया गया और 2,30,500/- रुपये की राशि निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, अन्य मदों पर 9500/- रुपये प्रदान किए गए, और इस प्रकार कुल 2,40,000/- रुपये का प्रतिकर, आवेदन की तिथि 20.12.2002 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज सहित, प्रदान किया गया।

19. प्रतिकर की राशि का निर्धारण करते समय अधिकरण ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि मृतक सीताराम यादव की पत्नी, सरिता देवी, को प्रत्यर्थी/एस.ई.सी.एल द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने *भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बनाम कांता अग्रवाल (श्रीमर्ता.) एवं अन्य*, 2008 (11) एससीसी 366 के प्रकरण में, कंडिका 12 एवं 13 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "12. यह इंगित किया गया है कि प्रदान किया गया प्रतिकर अत्यधिक है और न्यायोचित प्रतिकर की अवधारणा को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है।
>
> 13. प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया और अतिरिक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की अपील लंबित है। सामान्य स्थिति में, जब किसी समान निर्णय के विरुद्ध दो अपीलें दायर की जाती हैं, तो दोनों अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक ही पीठ द्वारा की जानी चाहिए। परंतु हमने पाया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे सका कि मृत्यु या चोट के कारण दावाकर्ता को जो लाभ प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रतिकर निर्धारित करते समय विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी इंगित किया गया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को 4700 रुपये

प्रतिमाह प्राप्त हो रहे थे और उन्हें आवास भी उपलब्ध कराया गया था तथा वास्तव में दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई थी।"

21. उपर्युक्त व्यापक परिस्थितियों, यह तथ्य कि दुर्घटना वर्ष 1988 में हुई थी जबकि दावा-आवेदन वर्ष 2002 में दायर किया गया, तथा यह तथ्य कि मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई—इन सभी पहलुओं के संदर्भ में जब 2,40,000/- रुपये की प्रतिकर राशि का परीक्षण किया जाता है, तो हमारे मत में अधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर राशि में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।

22. उपर्युक्त कारणों से, दोनों अपीलें, गुण-दोष से रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं ।

23. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate